



न्यायालय माननीय म,प्र, राजस्व मण्डल ग्वालियर म,प्र,  
प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण

आवेदकगण  
III/मित्रनी/भुरेना/भू-२०/२०१७/३४१८

दिनांक २०.७.१७  
श्री श्री. ई. शहादत खान  
ट्रॅक्टर १

वा  
२०.७.१७  
B.D. महोदय (म)

अनावेदकगण

Cfo  
२८/०९/१७

- 1—बाबू पुत्र छोटे जाति शाक्य व्यवसाय कास्तकारी निवासी ग्राम बेनीपुरा तहसील सवलगढ़ जिला मुरैना म,प्र,
- 2—खचेरु पुत्र अमरु जाति शाक्य व्यवसाय कास्तकारी निवासी ग्राम बेनीपुरा तहसील सवलगढ़ जिला मुरैना म,प्र,
- 3—हेमराज पुत्र जीवनलाल जाति शाक्य व्यवसाय कास्तकारी निवासी ग्राम बेनीपुरा तहसील सवलगढ़ जिला मुरैना म,प्र,
- 4—नरेश पुत्र जीवनलाल जाति शाक्य व्यवसाय कास्तकारी निवासी ग्राम बेनीपुरा तहसील सवलगढ़ जिला मुरैना म,प्र,

#### बनाम

- 1—म,प्र,शासन द्वारा कलेक्टर मुरैना कार्यालय कलेक्टर परिसर मुरैना म,प्र,
- 2—तहसीलदार, तहसील सवलगढ़ जिला मुरैना

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म,प्र, भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध अपर आयुक्त संचल संभाग मुरैना के पीठासीन अधिकारी श्री आर,बी,प्रजापति द्वारा प्रकरण क्रमांक 212—2015—16 अपील महेश विरुद्ध म,प्र, शासन में पारित आदेश दिनांकी 20,06,17 जिसके द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला मुरैना द्वारा प्र,क 36/2013—14 अपील में पारित आदेश दिनांकी 19,08,2014 को यथावत रखा जाकर तहसीलदार सवलगढ़ द्वारा प्र,क,69/2012—13/अ में पारित आदेश दिनांकी 18,02,14 को यथावत रखा गया है। जिससे दुखित होकर यह यह याचिका प्रस्तुत है।

माननीय

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है—

#### 1— प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य —

यह कि पटवारी हल्का नम्बर 54 तिन्दोली सबलगढ़ के मंदिर से लगी भूमि सर्वे क्रमांक 310 रकवा 0,68 आरे पर आवेदकगण को अतिकामक मान्य करते हुये बेजा कब्जा किये जाने पर विचारण न्यायालय तहसीलदार सवलगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/2012—13/अ—88 दर्ज

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा०/2017/3418

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-10-2017    	<p>यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 212/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-6-17 के विलम्ब म०प्र०भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि विवादित भूमि पर आवेदकगण पूर्वजों के जमाने से खेती करते चले आ रहे हैं एंव पिता से यह भूमि विरासत में प्राप्त है जिसके कारण वह अतिकामक नहीं है अपितु भूल से भूमि पर शासन अंकित हो गया है परन्तु तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी ने इस पर विचार न करने में भूल की है। भूमि पूर्वजों से प्राप्त होने के कारण आवेदकगण का विवादित भूमि पर स्वत्व है जिसके कारण निगरानी सुनवाई में ग्राह्य की जावे।</p> <p>4/ प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि शासकीय अभिलेख में पटवारी हलका नंबर तिन्दोली सवलगढ़ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 310 रकबा 0.68 आरे मंदिर श्री राधाकृष्ण जी देवस्थानी प्रबंधक कलेक्टर के नाम से दर्ज है इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा आदेश दिनांक 20-6-17 के पद 5 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है -</p> <p>” अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग सवलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-8-2014 में उल्लेख किया है कि यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि भूमि मंदिर की होकर औकाफ विभाग की है जिसके</p>	

प्रबंधक कलेक्टर मुरैना है। देवस्थानों की भूमि देवस्थानों की सेवा पूजा एवं देखरेख के लिये लगाई गई है किन्तु अपीलांट्स के आधिपत्य के चलते भूमि का उपयोग देवस्थान के हित में नहीं हो रहा है इस प्रकार मौजा सिन्डोली की भूमि सर्वे क्रमांक 310 रक्षा 1.68 आरे पर अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा प्रमाणित होने से अधीनस्थ न्यायालय क्वारा उसको बेदखल कर और अर्थदण्ड अधिरोपित करने में कोई भूल नहीं की गई है ॥

स्पष्ट है कि आवेदकगण मंदिर श्री राधाकृष्ण जी की भूमि प्रबंधक कलेक्टर पर बेजा कब्जा किये हुये हैं एवं बेजा कब्जा प्रमाणित होने के आधार पर आवेदक पर अर्थदण्ड की कायमी एवं बेदखली के आदेश हुये हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने तहसीलदार सवलगढ़ के आदेश 18-2-2014 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों क्वारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजायश न होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है।



सदस्य